प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 28 अगस्त, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र सहायितत योजना (फेज-3) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, औरैया के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-483/23-5-2021-11(सा)/2018टीसी-3, दिनांक 12.07.2021, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-3) के अंतर्गत स्वीकृत मेडिकल कालेज, औरैया के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेडिकल कालेज, औरैया के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 280.1657 करोड़ की शासनादेश दिनांक 18.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या-20/2020/393/71-3-2020-एन0एम0-24/2019, दिनांक 27.03.2020 द्वारा रू0 20.00 करोड़ की धनराशि (रू0 12.00 करोड़ केन्द्रांश एवं रू0 08.00 करोड़ राज्यांश) अवमुक्त की गयी है।

3 अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत **राजकीय मेडिकल कालेज, औरैया के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 280.1657 करोड़ के सापेक्ष रू0 50.00 करोड़ प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 12.00 करोड़ निर्गत करने के पश्चात अवशेष रू0 38.00 (रू0 अड़तीस करोड़ मात्र) की धनराशि केन्द्रांश के रूप में** निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. शासनादेश संख्या-82/2020/1458/71-3-2020-एन0एम0-24/2019, दिनांक 18.12.2020 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0119-मेडिकल कालेज औरैया (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों एवं तत्क्रम में वित्त विभाग से प्राप्त अशासकीय संख्या-ई-3-894/दस-2021-22, दिनांक 12 अगस्त, 2021 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-111/2021/ई-1718068(1)/71-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, औरैया।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. नियोजन-अनुभाग-4
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।